उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–14/2022–23

सरकार

बनाम्

मिरूलाल बेसरा एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 23/9/22

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला महागामा थाना काण्ड संख्या–14/2022 दिनांक–03.02.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–1327/अप0शा0 दिनांक–14.06.2022 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Q-5953, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17U-7377, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 3. महिन्द्रा B275DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-7344, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 4. महिन्द्रा 475DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4412, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 5. स्वराज 834XM ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-8798, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी मेघलाल टुडू, जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Q-5953, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17U-7377, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 3. महिन्द्रा B275DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-7344, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 4. महिन्द्रा 475DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4412, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 5. स्वराज 834XM ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-8798, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज

समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Q-5953, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17U-7377, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 3. महिन्द्रा B275DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-7344, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 4. महिन्द्रा 475DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4412, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 5. स्वराज 834XM ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-8798, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Q-5953, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक मिरूलाल बेसरा, पिता–स्व0 गुरू बेसरा, सा0–खधारामाल, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा, 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17U-7377, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक रोशन कुमार, पिता–चेतन साह, सा0–लहठी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा, 3. महिन्द्रा B275DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-7344, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक दशरथ साह, पिता–हरि साह, सा0–मोहनपुर, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा, 4. महिन्द्रा 475DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4412, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक हरि प्रसाद साह, पिता–स्व0 लक्ष्मण साह, सा0–खधारामाल, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा एवं 5. स्वराज 834XM ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-8798, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक गौतम कुमार जयसवाल, पिता–पंजु भगत, सा0–महादेववरण, थाना–मिर्जाचौकी, जिला–साहेबगंज के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Q-5953, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0 –JH17U-7377, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 3. महिन्द्रा B275DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-7344, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 4. महिन्द्रा 475DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4412, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 5. स्वराज 834XM ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-8798, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण 1. संझली मुर्मू, पति स्व0 मिरूलाल बेसरा, 2. रोशन कुमार, 3. दशरथ साह, 4. हरि प्रसाद साह एवं 5. गौतम कुमार जयसवाल को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण–पृच्छा दाखिल किया है।

विपक्षी संझली मुर्मू, पति स्व0 मिरूलाल बेसरा की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। उनका कथन है कि विपक्षी अपने घर में पहले से ही रखी गयी बालू को उक्त वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किये जा रहे निर्माण कार्य के लिए ले जा रहा था। उसी क्रम में वाहन को जप्त किया गया है। इसके पूर्व कोई भी अपराध के लिए उक्त वाहन को जप्त नहीं किया गया था। पहली बार वाहन को जप्त किया गया है और पुलिस थाना में वाहन को रखा गया है। वाहन थाना में पड़े रहने से वाहन का संपूर्ण स्थिति समाप्त हो जायेगी, इससे विपक्षी को काफी नुकसान होगा। वाहन मुक्त करने के लिए विपक्षी बॉण्ड भरने के लिए तैयार है। उन्होंने जप्त वाहन को राजसात से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी रोशन कुमार का कथन है कि वाहन महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17U-7377, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं है, को बालू के साथ जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा जप्त कर लिया गया है। इसके बाद जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा महागामा थाना में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद विपक्षी और वाहन के चालक के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के द्वारा जुर्माना की राशि जमा करने के शर्त पर जमानत दिया गया। जुर्माना की राशि विपक्षी के द्वारा जमा कर दी गई है। एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित करना उचित नहीं है। विपक्षी जमानत बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने जप्त वाहन को राजसात से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी दशरथ साह का कथन है कि वाहन महिन्द्रा B275DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-7344, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को बालू के साथ जप्त किया गया है। उक्त वाहन वाणिज्यिक वाहन है। उक्त वाहन थाना में खुले आसमान में पड़ा हुआ है। जिसके कारण क्षति ग्रस्त होने की संभावना है। विपक्षी को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची से जमानत भी मिल गया है। राजसात से मुक्त करने के लिए विपक्षी बॉण्ड भरने के लिए तैयार है। उन्होंने जप्त वाहन को राजसात से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी हरि प्रसाद साह का कथन है कि वाहन महिन्द्रा 475DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4412, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को बालू के साथ जप्त किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा जप्त कर महागामा थाना में मामला को दर्ज किया गया है। उक्त अपराध के लिए अग्रिम जमानत के लिए मालिक एवं चालक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर किया गया था। शर्तों के आधार पर जमानत दिया गया है। विपक्षी के द्वारा सिविज कोर्ट के नजारत में जुर्माना की राशि जमा की गई है। उनका आगे कथन है कि विपक्षी राजसात से जप्त वाहन को मुक्त करने के लिए जमानत बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है और जमानत बंध–पत्र के आधार पर वाहन को मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी गौतम कुमार जयसवाल का कथन है कि वाहन स्वराज 834XM ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-8798, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को बालू के साथ जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा जप्त किया गया है एवं मामला महागामा थाना में दर्ज किया गया है। विपक्षी के द्वारा घर में रखे बालू को ही ले जा रहा था। इस प्रकार विपक्षी के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। जप्त वाहन को थाना में खुले आसमान में रखा गया है और वाहन खराब होने की संभावना बना हुआ है। उन्होंने जप्त वाहन को बंध–पत्र के आधार पर राजसात से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। महागामा थाना काण्ड संख्या–14/2022 दिनांक–03.02.2022, भा0द0वि0 की धारा–379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर महागामा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण का जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Q-5953, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0 –JH17U-7377, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 3. महिन्द्रा B275DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-7344, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 4. महिन्द्रा 475DI

ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4412, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 5. स्वराज 834XM ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-8798, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव कर परिवहन कर रहा था। विपक्षीगण के द्वारा वाहन पर लदे अवैध बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू चोरी एवं परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि जप्त वाहन पूर्व में भी अवैध खनिज के परिवहन में संलिप्त पाया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
JH17Q-5953	0	बालू, 100	4000.00	8000.00	00	8000.00
JH17U-7377	0	बालू, 100	4000.00	8000.00	00	8000.00
JH17D-7344	0	बालू, 100	4000.00	8000.00	00	8000.00
JH17D-4412	2	बालू, 100	4000.00	8000.00	100000.00	108000.00
JH17D-8798	0	बालू, 100	4000.00	8000.00	00	8000.00

एवं एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17Q-5953, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर निबंधन सं0 –JH17U-7377, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 3. महिन्द्रा B275DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-7344, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 4. महिन्द्रा 475DI ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4412, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं एवं 5. स्वराज 834XM ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-8798, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।

2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षीगण जुर्माना की राशि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जमाकर रसीद की प्रति के साथ उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक–एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं अन्य संबंधित को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-14/2022-23

सरकार

बनाम्

मिरूलाल बेसरा एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक	
	अभिलेख उपस्थापित किया गया। मामला महागामा थाना काण्ड संख्या—14 / 2022 दिनांक—03.02.2022 से संबंधित है। विपक्षी हरि प्रसाद साह ने जप्त वाहन महिन्द्रा 475DI ट्रैक्टर निबंधन सं0—JH17D-4412, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने के लिए जुर्माना की राशि 108000.00 (एक लाख आठ हजार) रू0 का रसीद की प्रति, एक लाख रू0 का जमानत बंध—पत्र के रूप में वाहन—JH17K-5850 से संबंधित कागजात, शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात दाखिल किया है। अतः दाखिल जुर्माना राशि एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध—पत्र एवं शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उसमें लदे बालू को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। विमुक्ति हेतु आदेश की प्रति सभी संबंधित को निर्गत करें। लिखाया एवं शुद्ध किया। उपायुक्त, गोड्डा। उपायुक्त, गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.26 11:35:02 +05:30
Location: 172.28.32.1